22/04/2026 –प्रकरण प्रस्तुत।
–प्रकरण का अवलोकन किया।
–आवेदक चित्रवीर सिंह पिता स्व. चतुरंग सिंह, निवासी – म.नं.–ए/87/2क एस.ई.सी.एल. पंप हाउस कोरबा, तहसील व जिला– कोरबा, छ.ग. के नाम पर ग्राम– जोगीपाली प.ह.नं.–03, तहसील– बरपाली, जिला कोरबा, छ.ग., में खसरा नम्बर 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 233/1, 233/2, 233/3 रकबा कमशः – 0.109, 0.040, 0.036, 0.077, 0.235, 0.077 हे. कुल रकवा –0.610 हे. (1.5074 एकड़) भूमि स्थित है। उक्त वर्णित खसरे की भूमि पर कुल –104 नग साल वृक्ष स्थित है। जिसमें से कुल –104 नग साल वृक्ष को काटने की अनुमति हेतु इस न्यायालय में आवेदन प्रस्तुत किया गया।
–कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, कोरबा वनमण्डल कोरबा, छ.ग. के पत्र कमाक/राजस्व/2092 कोरबा, दिनांक 07/04/2026 के अनुसार संयुक्त जॉच प्रतिवेदन में लेख किया गया है कि मौका स्थल पर 56 नग साल एवं अन्य प्रजाति के 15 नग, कुल–71 नग वृक्ष मौके पर अवस्थित है, जिसमें से कुल 10 नग वृक्षों को आवेदक वन विभाग द्वारा कटाई कराकर वन विभाग को विकय करना चहता है, प्ररूप–घ में प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त वृक्ष को काटने की अनुमति प्रदान करने की अुनशंसा की गई है।
–छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 258 की उप–धारा (2) के खण्ड(इकसठ) तथा (बासठ) सहपठित धारा 240 एवं 241 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा वृक्षों की कटाई की अनुमति अनुविभागीय अधिकारी(रा0) कोरबा को प्रदत्त की गई है।
–छ0ग0भू0राजस्व संहिता की धारा 1959 की धारा 240 अंतर्गत वृक्षों को काटे जाने का प्रतिषेध या विनियमन संबंधी नियम की कंडिका 1 में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध होने की स्थिति निम्नांकित है:–
(क) किसी जलधारा, झरने अथवा तालाब के किनारे के अंतिम किनारे से 30 मीटर के अंदर,
(ख) किसी रास्ता अथवा बैलगाड़ी के रास्ते के बीच से 15 मीटर के अंदर एवं किसी पगडंडी से 6 मीटर के अंदर,
(ग) किसी पवित्र स्थान से 30 मीटर की क्षेत्र में सम्मिलित किसी उपवन में,
(घ) वन महोत्सव कार्यकम या उसके समान किसी अन्य योजना के अंतर्गत वृक्षों की प्रजातियों के वृक्षारोपण के क्षेत्र में अथवा
(ड.) पड़ाव, कब्रस्तान अथवा श्मशान स्थल,गोठान, खलिहान, बाजार अथवा आबादी हेतु अलग किए गए किसी क्षेत्र में, अथवा
(च) पहाड़ी एवं 25 डिग्री से ज्यादा ढलान वाले उपर– नीचे क्षेत्र पर, न तो काटा जाएगा, न गिराया जाएगा, न उसका तना छील कर घेरा जाएगा एवं न

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

ही उसे अन्यथा क्षति पहुंचाया जाएगा।
– आवेदित वृक्षों की कटाई पर उपरोक्त वर्णित परिस्थितियॉ लागू नहीं होना पाया गया।
नियम की कंडिका 2 (सात) ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया हो, पर वृक्ष कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है।
– उपरोक्त वृक्षों को छ0ग0भू0रा0सं0 की धारा 240 के अंतर्गत बने नियम 2 (सात) एवं नियम 10 के प्रावधानों के तहत एवं छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर दिनांक 11 फरवरी 2022 अधिसूचना अनुसार एक कलेण्डर वर्ष में एक खाते पर 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी उल्लेखित है।
– छत्तीसगढ़ वनउपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम, 1969(क्र. 9 सन् 1969) एवं भारतीय वन अधिनियम, 1927(1927 का 16) के अतर्गत निर्मित छत्तीसगढ़ परिवहन(वन उपज) नियम, 2001 का पालन नहीं किए जाने पर यह अनुमति शून्य होगी।
– छ0ग0भू0रा0संहिता 1959 की धारा 240 के नियम की कंडिका 2(सात) में ऐसे पेड़ जिनका लोकहित में काटा जाना जरूरी हो गया है, पर वृक्ष की कटाई की अनुमति दिये जाने का प्रावधान है। प्राकृतिक रूप से उगे अधिकतम 04 वृक्ष प्रति एकड़ के मान से एवं अधिकतम कुल 10 वृक्षों के कटाई की अनुशंसा की जा सकेगी।
– अतः लोक हित एवं जन धन की सुरक्षा की दृष्टि से ग्राम–कोरबा आवेदक चित्रवीर सिंह पिता चतुरंग, जोगीपाली स्थित भूमि कुल ख.नं– 07, कुल रकबा 1.5074 एकड़ भूमि पर स्थित कुल 71 नग साल एवं अन्य प्रजाति के वृक्ष स्थित है, जिसमें से कुल – 06 नग साल वृक्षों को काटने की अनुमति दी जाती है।
– आवेदक स्वयं के व्यय से एवं वन विभाग के कर्मचारियों की निगरानी में उक्त वृक्ष की कटाई करेगा।
–संबंधितों को अनुमति आदेश की प्रति प्रेषित की जावे। तत्पश्चात् प्रकरण पंजीबद्ध कर दाखिल दफ्तर हो।

अनुविभागीय अधिकारी(रा0)
कोरबा छ0ग0

अनुविभागीय अधिकारी (रा.)
कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.)